

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, भा०प्र०स०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:-

राँची/दिनांक 26.03.26

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 924.234 लाख (नौ करोड़ चौबीस लाख तेईस हजार चार सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो० 854.5295 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख बावन हजार नौ सौ पचास) रु० मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" में निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 924.234 लाख (नौ करोड़ चौबीस लाख तेईस हजार चार सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 854.5295 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख बावन हजार नौ सौ पचास) रु० मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु० में)

क	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	Redevelopment of Pond and Construction of Ghat at Fishery, Bhandariya, Garhwa	98,08,000 / -*	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-II, राँची द्वारा दिनांक 17.12.2024 को।	गढ़वा
योग (क):		98,08,000 / -		

(ख) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु० में)

क	निर्माण कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति/Technical Approval प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	Construction of 14000 litre capacity Overhead Water Tank and Hatchery Complex at Fulwar, Baghmara, Dhanbad	34,42,100 / -	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 08.09.2025 को।	धनबाद
उप योग:		34,42,100 / -		

क	निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति / Technical Approval प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
2	Construction of Type A Flat at Fisheries Campus Doranda, Ranchi	3,44,37,600 / -	महाप्रबंधक परियोजना, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची द्वारा दिनांक 18.02.2026 को।	राँची
3	Construction of Type B and C Flat at Fisheries Campus Doranda, Ranchi	4,47,35,700 / -		
उप योग:		7,91,73,300 / -		
योग (ख):		8,26,15,400 / -		
कुल योग (क) + (ख):		9,24,23,400 / -		

नोट :- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुचित बजट उपबंध नहीं रहने के कारण

* Redevelopment of Pond and Construction of Ghat at Fishery, Bhandariya, Garhwa हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो० 98,08,000/- रु० मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो० 28,37,550/- रु० मात्र आवंटित किये जाएंगे। शेष मो० 69,70,450/- रु० मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन में उपबंधित राशि मो० 6005.00 लाख रु० एवं मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परियोजना में उपबंधित (द्वितीय अनुपूरक पश्चात् संशोधित) राशि मो० 2615.00 लाख अर्थात् कुल मो० 8620.00 लाख रु० मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं० 10 रा० (वि०) दिनांक 04.07.2025 द्वारा कुल मो० 6117.3946 लाख (इकसठ करोड़ सतरह लाख उनचालीस हजार चार सौ साठ) रु० मात्र एवं विभागीय राज्यादेश सं० 42 रा० (वि०) दिनांक 12.02.2026 द्वारा मो० 460.18338 (चार करोड़ साठ लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तीस) लाख रु० मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा -

मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परियोजना-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क०	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	मूल बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 10 रा० (वि०) दिनांक 04.07.25 द्वारा स्वीकृत राशि	स्वीकृत्यादेश सं० 42 रा० (वि०) दिनांक 12.02.26 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(राशि लाख रु० में)							
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन						
1	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050010172010544	200.00	200.00	81.5625	90.062	28.3755	0.00
2	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010172010545	350.00	350.00	0.00	174.65848	34.421	140.92052
उप योग:		550.00	550.00	81.5625	264.72048	62.7965	140.92052
(ख)	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना						
1	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050078972010544	20.00	20.00	16.4250	0.00	0.00	3.5750
उप योग:		20.00	20.00	16.4250	0.00	0.00	3.5750
(ग)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
1	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050079672010544	200.00	200.00	69.42	130.58	0.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079672010545	645.00	1845.00	0.00	64.8829	791.733	988.3841
उप योग:		845.00	2045.00	69.42	195.4629	791.733	988.3841
कुल योग:		1415.00	2615.00	167.4075	460.18338	854.5295	1132.87962

कुल मो० 854.5295 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख बावन हजार नौ सौ पचास) रु० मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।
6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/गढ़वा एवं धनबाद होंगे। कंडिका 2 के (क) एवं (ख) - क्रम 1 में अंकित जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों (कंडिका-2 (ख) के क्रम सं0 2 एवं 3 में अंकित कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य) के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।
कंडिका-2 (ख) के क्रम सं0 2 एवं 3 में अंकित कार्य हेतु वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के पी0 एल0 खाते में नियमानुसार हस्तांतरित की जाएगी। प्राक्कलित राशि में परामर्शी शुल्क, लेबर सेस, JSBCCL शुल्क, PMC शुल्क एवं G.S.T की राशि समाहित है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD Code) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।
7. जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं जीर्णोद्धार/निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।
8. स्वीकृत योजनाओं में कंडिका-2 (ख) में अंकित क्रम सं0 2 एवं 3 को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर एवं शेष को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा जीर्णोद्धार/निर्माण कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।
10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।
11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिगण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0 01 2005 301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
15. यह चालू प्रकृति की अम्ब्रेला योजना (Umbrella Scheme) है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-2405 एवं मुख्य शीर्ष-4405 सहित कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 7330.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 6600.00 लाख रु0) मात्र में से मो0 5500.84817 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

6

16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य का क्रियान्वयन लोक निर्माण संहिता (PWD Code) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाइट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक 26.03.26

ज्ञापांक:- 5 बजट (1) 28/2026 62 रा० वि०

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक 26.03.26

ज्ञापांक:- 5 बजट (1) 28/2026 62 रा० वि०

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/महाप्रबंधक परियोजना एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची/योजना विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव